भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *366
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्र

***366. श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में राज्यवार कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं;
(ख) क्या सरकार देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों की बढ़ती आवश्यकता से अवगत है और यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर व्यय की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों के पास उचित भवन भी नहीं है, यदि हां, तो देश भर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को उचित भवन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) क्या सरकार की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को किराए के भवनों के बजाय उनके स्वयं के भवनों में स्थापित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता आवंटित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

"आंगनवाड़ी केन्द्रों" के संबंध में श्री कौशलेन्द्र कुमार और श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड.) : देश भर में कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) की राज्य-वार कुल संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ पीने के पानी की सुविधा और शौचालयों के लिए वित्त पोषण सीमा को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र करना शामिल है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के साथ अभिसरण से आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 7 लाख रुपये से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है। इसमें 8.00 लाख रुपये एमजीएनआरईजीएस के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (एफसी) (या किसी अन्य अबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये केंद्र एवं राज्यों द्वारा निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में उनके बीच साझा किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए),अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) इत्यादि से निधि प्राप्त करना जारी रखें।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और

विकास के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं क्योंकि उनमें एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई सामग्री और बाला पेंटिंग्स के प्रावधान शामिल हैं। आज तक, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत करने के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या 1,70,337 है।

प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 12 लाख रुपये की दर से निधि प्रदान की जाती है। अब तक, पीएम जनमन के तहत निर्माण के लिए 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है। 2139 स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में से, 786 आंगनवाड़ी केंद्र चालू हो गए हैं।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 2,000 रुपये प्रति माह, शहरी क्षेत्र में प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 6,000 रुपये प्रति माह तथा महानगरीय क्षेत्रों में प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 8,000 रुपये प्रति माह की दर से किराया प्रदान करने का प्रावधान है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध करा कर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाता है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और साथ ही उन्हें आंगनवाड़ी में चल रहे सभी कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए अधिक समय मिलता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को पर्याप्त डेटा रिचार्ज सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

*****

अनुलग्नक- I

"आंगनवाड़ी केन्द्रों" के संबंध में श्री कौशलेंद्र कुमार और श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य के अनुसार कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्र
1	आंध्र प्रदेश	55607
2	अरुणाचल प्रदेश	6225
3	असम	62093
4	बिहार	114968
5	छत्तीसगढ़	52382
6	गोवा	1261
7	गुजरात	53065
8	हरियाणा	25962
9	हिमाचल प्रदेश	18925
10	झारखंड	38515
11	कर्नाटक	65931
12	केरल	33120
13	मध्य प्रदेश	97329
14	महाराष्ट्र	110516
15	मणिपुर	11523
16	मेघालय	6162
17	मिजोरम	2244
18	नागालैंड	3980
19	ओडिशा	74192
20	पंजाब	27314
21	राजस्थान	61885
22	सिक्किम	1308

23	तमिलनाडु	54449
24	तेलंगाना	35700
25	त्रिपुरा	10222
26	उत्तर प्रदेश	189021
27	उत्तराखंड	20060
28	पश्चिम बंगाल	119481
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	720
30	चंडीगढ़	450
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	405
32	दिल्ली	10897
33	जम्मू एवं कश्मीर	28426
34	लद्दाख	1173
35	लक्षद्वीप	59
36	पुद्दुचेरी	855
कुल		**1396425**

अनुलग्नक-II

"आंगनवाड़ी केन्द्रों" के संबंध में श्री कौशलेंद्र कुमार और श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी और उपयोग किए गए केंद्रीय अंश का विवरण:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन पोषण 2.0								
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24*
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14.98	13.34	16.37	6.37	19.71	13.36	3.85	5.17	12.15
2	आंध्र प्रदेश	825.24	686.20	701.82	763.99	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68
3	अरुणाचल प्रदेश	134.71	134.79	82.92	65.01	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06
4	असम	1365.53	1241.33	1109.75	1255.72	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31
5	बिहार	1539.37	1253.87	1288.98	1444.36	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29
6	चंडीगढ़	17.03	13.30	13.35	16.08	15.32	23.09	33.10	33.10	19.79
7	छत्तीसगढ़	483.88	548.81	513.95	542.07	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	17.20	8.24	9.02	9.02	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97
9	दिल्ली	133.06	140.49	102.70	139.84	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81
10	गोवा	16.02	17.02	20.44	17.46	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95
11	गुजरात	854.00	725.25	633.13	873.79	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80
12	हरियाणा	181.00	149.87	185.29	232.54	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78
13	हिमाचल प्रदेश	251.82	295.25	258.55	295.89	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09

14	जम्मू एवं कश्मीर	332.85	328.31	294.17	450.82	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88
15	झारखंड	436.10	455.87	464.33	348.68	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30
16	कर्नाटक	861.87	916.51	697.17	1012.84	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96
17	केरल	321.42	331.23	352.03	384.79	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64
18	लद्दाख	0.00	0.00	24.18	24.69	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62
19	लक्षद्वीप	2.59	1.27	3.06	2.06	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88
20	मध्य प्रदेश	1225.60	1276.10	1238.06	1125.20	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11
21	महाराष्ट्र	1669.40	1416.45	1205.99	1517.51	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52
22	मणिपुर	162.54	142.27	175.77	148.45	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28
23	मेघालय	225.66	181.19	177.92	185.25	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69
24	मिजोरम	63.26	56.45	74.60	64.67	59.32	61.57	42.81	46.65	100.27
25	नागालैंड	178.92	169.55	167.23	169.19	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91
26	ओडिशा	860.66	892.46	858.68	896.85	1065.98	871.20	923.92	884.92	968.80
27	पुद्दुचेरी	9.86	8.45	4.38	3.50	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48
28	पंजाब	201.44	175.11	174.71	207.82	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87
29	राजस्थान	673.95	665.42	641.77	702.90	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96
30	सिक्किम	29.47	33.70	24.50	26.06	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49
31	तमिलनाडु	764.73	652.94	619.43	695.85	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79
32	तेलंगाना	529.96	420.08	405.32	564.04	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87
33	त्रिपुरा	166.47	164.05	154.16	177.85	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22
34	उत्तर प्रदेश	2544.00	2480.79	2017.49	1925.75	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69
35	उत्तराखंड	373.96	378.21	327.92	350.07	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24
36	पश्चिम बंगाल	1165.26	1321.90	1066.64	897.89	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56
कुल		**18633.81**	**17696.07**	**16105.78**	**17544.87**	**18368.01**	**18789.28**	**19849.82**	**19346.54**	**21741.17**

* वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक देय नहीं है।

*****